न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी : श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 150 / 2023

वादी

1 रामसिंह पुत्र बाबासिंह जाति राजपुरोहित निवासी सफेद आकड़ा के पास तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 हरीसिंह पुत्र अमरसिंह निवासी महाबार 2 खेतसिंह पुत्र बीजाराम उर्फ बीजराजसिंह 3 सेजीदेवी पत्नी बीजाराम 4 नेमीचंद 5 रमेशसिंह 6 शंकरसिंह पिसरान बीजाराम उर्फ बीजराजसिंह जाति पुरोहित निवासी बाडमेर गादान 7 शातिदेवी पत्नी पारसमल 8 जितेन्द कुमार पुत्र पारसमल 9 पारसमल पुत्र माणकमल 10 विमलादेवी पत्नी राजेन्द कुमार जाति जैन निवासी महावीर चौक 11 नेनूदेवी पत्नी मुकनाराम 12 विजयराज पुत्र नेमीचन्द 13 शेरसिंह 14 हरलालसिंह 15 दानसिंह 16 करणसिंह 17 अशोकसिंह पिसरान गोमसिंह निवासी महाबार तहसील व जिला बाडमेर। 18 तहसीलदार बाडमेर जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रकिया सहिता

उपस्थिति :– 1. श्री डूंगरसिंह महेचा वकील वादीगण।
2. श्री सुनील के मेराजा वकील प्रतिवादी सं0 06।

आदेश

दिनांक 28/08/24

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादी सं0 06 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रकिया सहिता पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रतिवादीगण संख्या 06 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि मौजा बाड़मेर गादान के खसरा संख्या 3496/2459 रकबा 01.9235 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी की है तथा वादग्रस्त भूमि में वादीगण खातेदार के रूप में दर्ज नहीं हैं। वादीगण द्वारा जरिए इकरारनामा के उक्त भूमि क्रय की गई है। अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर वादग्रस्त आराजी में खातेदारी घोषित करवाने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर घोषणा हेतु वादीगण को सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर करना था, जिस कारण राजस्व न्यायालय में [illegible] योग्य नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जो अपंजीबद्ध इ[illegible] किया गया है वह कुटरचित है एवं इस सम्बन्ध में पूर्व खातेदार द्वारा कोई इकरारनामा प्रतिवादी [illegible] में निष्पादित नहीं किया गया था। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ने आपस में साठ–गांठ कर फर्जी बेचान ईकरारनामा तैयार कर उसे आगे बेचान बताकर अपंजीकृत बेचाननामा के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:24:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

उक्त वाद पेश किया है। अपंजीबद्ध ईकरारनामा पर आधारित होने से राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से यह वाद खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल के निम्नांकित न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं:–

1. 2014 (1) आर.आर.टी पेज संख्या 730 अनवान जितेन्द्र करनावत बनाम नाथू वगैरा के द्वारा बेचान ईकरारनामा के आधार पर वाद राजस्व न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। ऐसे वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं।
2. ए.आई.आर. 2017 एस.सी. पेज संख्या 3548 अनवान ग्रेटर बम्बई कॉ–आपरेटिव सोसायटी बनाम नगराज माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट द्वारा अचल सम्पत्ति का अन्तरण केवल एक पंजीबद्ध दस्तावेज के जरिए ही किया जा सकता है।
3. 2018 (2) आर.आर.टी पेज संख्या 1037 अनवान नन्दा वगैराह बनाम हरीसिंह वगैराह में भी अपंजीबद्ध दस्तावेजात के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तों की व्याख्या की गई है।

वादीगण के अधिवक्ता द्वारा जबाब पेश नहीं कर सीधे बहस करने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में से जरिए ईकरारनामा दिनांक 28.10.2023 प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि मूल खातेदार नरपतसिंह, बीजराजसिंह उर्फ बीजाराम पुत्र दलसिंह पुरोहित से जरिए ईकरारनामा दिनांक 19.06.1991 में खरीद की गई थी। वक्त क्रय के बाद वादी का मौके पर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि वादी द्वारा खरीदसुदा भूमि है जिस पर वर्तमान में वादी का कब्जा है तथा ईकरारनामा की शर्त अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी के पक्ष में पंजीबद्ध बेचाननामा निष्पादित करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा इनकार कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 02 से 06 उक्त भूमि को पुनः बेचान करने पर प्रयासरत है तथा वादी को बेदखल करने की धमकियां दे रहे हैं। वादी की कब्जा काश्त की भूमि का बेचान अन्य को किया जाता है तो तथा वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है कि वादी के खातेदारी खेत में दखलअंदाजी करे। वादी वादग्रस्त भूमि का कानूनी रूप से बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त ईकरारनामें में अंकित पडौसान के अनुसार करवाना [illegible] इस हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर [illegible] है। प्रतिवादी न्याय में देरी लाने हेतु माननीय न्यायालय में विभिन्न प्रकार के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय का समय व्यर्थ करना चाहते हैं लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी मय खर्चा खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:24:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं न्याय दृष्टांतों का अवलोकन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार नहीं है न ही राजस्व रेकर्ड में वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा है केवल अपंजीकृत ईकरारनामा के आधार पर वादी वादग्रस्त भूमि में से खातेदारी अधिकार घोषित करवाने का वादी अधिकारी नहीं है। 2018 (2) आर.आर.टी पेज संख्या 1037 अनवान नन्दा वगैराह बनाम हरीसिंह वगैराह में पारित निर्णय अनुसार "अपंजीबद्ध दस्तावेजात के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते" अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं होने से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया सहिता स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादी सं0 06 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया सहिता स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समंदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 28/08/24 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:24:35 IST
Reason: SelfAttested